

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2014/माघ 23, 1935
No. 325]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2014/MAGHA 23, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2014

सं. 68 (आर.ई.-2013)/2009-2014

विषय : इराक सरकार को अस्त्र-शस्त्र और संबंधित सामग्रियों का निर्यात ।

का.आ. 389(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.1.1 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :

2. विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.1.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

" 2.1.1 इराक से/को अस्त्र-शस्त्र और संबंधित सामग्रियों का आयात/निर्यात "निषिद्ध" है। तथापि, इराक सरकार को अस्त्र-शस्त्र और संबंधित सामग्रियों का निर्यात रक्षा उत्पादन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त के अध्यधीन अनुमत होगा।"

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव :**

इराक सरकार को अस्त्र-शस्त्र और संबंधित सामग्री का निर्यात रक्षा उत्पादन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त के अध्यधीन अनुमत किया गया है।

[फा. सं. 01/93/180/38/एएम 14/पीसी-2बी]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th February, 2014

No. 68 (RE-2013)/2009-2014**Subject : Export of Arms and related materials to Government of Iraq.**

S.O. 389(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendments in Para 2.1.1 of Foreign Trade Policy, 2009—14 with immediate effect :

2. Existing Para 2.1.1 of Foreign Trade Policy, 2009—14 shall be substituted as under :

“2.1.1 The import/export of Arms and related material from/to Iraq is ‘Prohibited’. However, export of Arms and related material to Government of Iraq shall be permitted subject to ‘No Objection Certificate’ from the Department of Defence Production”.

3. Effect of this notification :

Export of Arms and related material to Government of Iraq has been permitted subject to ‘No Objection Certificate’ from the Department of Defence Production.

[F. No. 01/93/180/38/AM 14/PC-2B]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade